


**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन**

**उज्जैन जिले के लिए साँची घी विक्रय हेतु  
सुपरस्टॉकिस्ट आवेदन प्रपत्र  
वर्ष 2019-20**



**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन**

**मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन-456010**

**दूरभाश - 2527061,2527068,2527066**

मोनो

**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456010 (म.प्र.)

दूरभाश - 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

**उज्जैन जिला में साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु**

उज्जैन जिले में साँची घी के सुव्यवस्थित वितरण एवं विक्रय के लिए सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता फर्म/प्रतिष्ठान रूपये 500=00 (पांच सौ मात्र) दिनांक 03/11/2018 तक किसी भी कार्य दिवस में वेबसाईट

**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**  
**आवेदन प्रपत्र का कार्यक्रम प्रपत्रों की जानकारी**

1	आवेदन प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 03/11/2018 प्रातः 11:00 बजे
2	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	03/11/2018 दोपहर 12:00 बजे तक
3	आवेदन जमा करने की तिथि एवं समय	03/11/2018 अपरान्ह 01:00 बजे तक
4	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	03/11/2018 अपरान्ह 3:00 बजे
5	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	1,00,000=00 (एक लाख मात्र) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन पेयबल एट उज्जैन के नाम से देय हो।
6	आवेदन प्रपत्र का मुल्य	रुपये 500/- (पांच सौ मात्र)
7	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सीरोड़ उज्जैन
8	सुपर स्टॉकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य भार्ते का प्रारूप	प्रपत्र 01 एवं 02
9	सुपर स्टॉकिस्ट चयन हेतु अंक तालिका	प्रपत्र - 03
10	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र - 04
11	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र - 05
12	दर संरचना	प्रपत्र - 06

**आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-**

- प्रपत्र क्रमांक 01 "तकनीकी अर्हताएं" प्रपत्र क्रमांक 02 "सामान्य भार्ते प्रपत्र क्रमांक 4 आवेदन पत्र एवं प्रपत्र क्र. 5 अनुबंध का प्रारूप एक साथ एक "बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर उज्जैन जिला हेतु "साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवेदन" लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेशक का नाम पता अंकित किया जावे।
- आवेदन में उल्लेखित भार्तों की अतिरिक्त आवेदनकार की ओर से उल्लेखित कोई भी भार्त मान्य नहीं की जावेगी।
- बिना पूर्ण दस्तावेज एवं ई.एम.डी. राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- आवेदनकर्ता द्वारा प्रपत्र - 01, 02, 03 एवं 04 के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के प चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
- आवेदन के साथ प्रपत्र क्रमांक 07 पर साँची घी की वर्तमान दर संरचना संलग्न है। आवेदनकर्ता सभी व्यापारिक एवं पूंजी निवे रा का पूर्ण वि लेशन करने के प चात ही आवेदन करे

तकनीकी अहर्ताएं

क्रमांक	आव यक अहर्ताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की द ा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र ।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता ।		पंजीकृत पार्टनर िप डीड ।
3	आवेदनकर्ता संस्था/फर्म होने की द ा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति ।
4	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है ।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	GST नम्बर होना अनिवार्य है। नया कार्य आरंभ करने की स्थिति में आवेदनकार को GST नम्बर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।		GST नम्बर/आवेदन की छायाप्रति संलग्न
6	साँची घी वितरण हेतु उपलब्ध वाहन का प्रकार		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावें।
7	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।
8	वित्तीय वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं 2015-16, 2016-17) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)
9	FSSAI लायसेन्स होना अनिवार्य होगा।		FSSAI लायसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें।
10	गुमास्ता होना अनिवार्य होगा		छायाप्रति संलग्न करें।
11	निर्धारित टर्नओवर		तीन वर्षों की बेलेंस िट सीए द्वारा सत्यापित प्रति। संलग्न करें।
12	ई.एम.डी.		मूल डी.डी. संलग्न करें।

13	आवेदन पत्र के मूल्य का डी.डी. (यदि आवेदन वेबसाईट से डाउनलोड किया गया है तों)		मूल डी.डी. संलग्न करें।
----	--	--	-------------------------

नोट:-

1. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई है) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता की पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य अवंटन के पचात/अनुबंध के पचात भविश्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी को निरस्त कर उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जा मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायीक अथवा अन्या कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर .....

नाम-----

पता-----

-----

-----

दूरभाश नम्बर -----

मोबाईल नम्बर -----

साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट आवेदन हेतु  
आव यक भार्ते

1. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है। आवेदक का घी विक्रय का वर्तमान कार्यक्षेत्र उज्जैन जिला होना अनिवार्य है। उज्जैन जिले के बाहर कार्यरत आवदकों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
2. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रू. एक लाख मात्र) डी.डी. आर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत प्रतिभूति राि 1 रूपये 75 लाख (जिसमें 60 लाख की बैंक ग्यारंटी एवं 15 लाख डी.डी. द्वारा नगद) जमा करना होगी, नगद जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. सुपर स्टॉकिस्ट के पास FMCG वस्तुओं का पूर्व वितरण अनुभव एवं विगत तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम कुल 150 करोड़ का टर्न ओव्हर होना आव यक होगा। टर्न ओव्हर को सत्यापित करने हेतु चार्टर अकाउंटेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी बेलेंस शीट संलग्न करना होगी।
5. सुपर स्टॉकिस्ट को साँची घी के व्यवस्थित भंडारण एवं गोडाउन की व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले कम से कम तीन-चार वाहन की व्यवस्था भी करनी होगी। इस संबंध में आव यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध या रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होंगे।
6. सुपर स्टॉकिस्ट को अपनी मांग कम से कम दो दिवस पूर्व दुग्ध संघ को लिखित में देना होगी, किन्तु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार घी का प्रदाय दिन में एक ही बार संयंत्र वितरण डॉक से किया जावेगा।
7. दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले घी की राि 1 का भुगतान दुग्ध संघ को निर्धारित समय में प्राप्त हो सके, इस हेतु राि 1 की व्यवस्था सुपर स्टॉकिस्ट को अपने खाते में सुनिश्चित करना होगी।
8. सुपर स्टॉकिस्ट को साँची घी प्राप्त करते समय उसकी जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने वाले प्दात किसी भी प्रकार की टूट-फूट अथवा गुणवत्ता की जिम्मेदारी सुपर स्टॉकिस्ट की रहेगी।

9. सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ की निर्धारित भातों के अनुसार रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडि़ियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा। साथ ही सुपर स्टॉकिस्ट को दो वर्ष के लिए नियुक्ति किया जावेगा, तत्प चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोश जनक होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार एक-एक वर्ष की तीन वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
10. दुग्ध संघ से सीधे घी प्राप्त कर विक्रय करने वाले वितरकों/विक्रेताओं/ उपभोक्ताओं को प्रदाय का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
11. दुग्ध संघ से क्रय की गई घी की मात्रा की राि RTGS के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करवानी होगी। सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राि की 80% राि का ही घी प्रदाय से किया जावेगा।
12. सुपर स्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण जिला में निर्दे अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आव यक होगा।
13. सुपर स्टॉकिस्ट को जो भी लक्ष्य दिये जाते है उनको प्राप्त करना होगा, लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में जो भी राि मार्जिन के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट को दी जावगी, उसकी 50% राि दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट की जमा अमानत राि जप्त कर सुपर स्टॉकिस्ट की एजेंसी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
14. नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपर स्टॉकिस्ट को कम से कम 4 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण जिले हेतु रखना होगा एवं आव यकता अनुसार वृद्धि करना होगी।
15. सुपर स्टॉकिस्ट विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमो ान में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आव यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवायेगा।
16. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
17. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा गठित समिति के द्वारा की जावेगी एवं समिति अपनी अनु ांसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
18. आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणव ा कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की आर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
19. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो आवेदन स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर वर्तमान अनुबंध से संबंधित लेनदारी-देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराि एवं क्रेट दुग्ध संघ में जमा कराने होंगे अन्यथा आवेदन

स्वतः निरस्त होकर ई.एम.डी राि । राजसात हो जावेगी तथा भविश्य के लिए ऐसी पार्टी को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा।

20. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रि तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत् निविदाकार को भापथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
21. आवेदक को आवेदन के साथ इस आ ाय का भापथ पत्र संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।
22. प्राप्त आवेदकों में से सुपर स्टॉकिस्ट का चयन आवेदन फॉर्म में संलग्न विभिन्न पैरामीटर के लिए अधिकतम अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जिस आवेदक के अधिकतम अंक होंगे उसे सुपर स्टॉकिस्ट हेतु चयनित किया जाएगा। यदि दो या दो से अधिक आवेदकों एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो सुपर स्टॉकिस्ट का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉट्री द्वारा किया जाएगा।

मेरे द्वारा साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवेदन की समस्त भातें एवं अनुबंध की भातें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी भातों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 21 तक वर्णित भातों को पालन नहीं करता हूँ, तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राि । राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

**सॉची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु अंक तालिका  
(उज्जैन जिला हेतु)**

1. उज्जैन जिले के लिए सॉची घी सुपर स्टॉकिस्ट की नियुक्ति के लिए निम्नानुसार अंक तालिका निर्धारित की गई है।

क्र.	विवरण	अंक पद्धति	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1	उज्जैन जिले में घी विक्रय का अनुभव	प्रत्येक वर्ष के 2 अंक निर्धारित	10	
2	टर्न ओवर	विगत 03 वर्षों के कुल न्यूनतम टर्न ओवर रूपये 150 करोड़ पर 20 अंक उसके ऊपर प्रत्येक 10 करोड़ पर 2 अंक दिये जाएंगे।	35	
3	घी वितरण हेतु उपलब्ध वाहनों की संख्या	प्रतिवाहन 3 अंक	15	
4	वर्तमान में वार्षिक आधार पर घी विक्रय मात्रा।	विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कुल 500 मे.टन घी विक्रय पर 4 अंक।	14	
5	यदि आवेदक वर्तमान में उज्जैन दुग्ध संघ के साथ कार्यरत है तो वर्तमान कार्य मूल्यांकन एवं व्यवहार।		10	
6	तकनीकी अर्हता के दस्तावेज	फर्म का पंजीयन - 2 अंक	2	
		पेन कार्ड - 2 अंक	2	
		जीएसटी - 2 अंक	2	
		बैंक का विवरण - 2 अंक	2	
		FSSAI - 2 अंक	2	
		EMD - 2 अंक	2	
		ITR - 2 अंक	2	
		गुमास्ता - 2 अंक	2	
<b>कुल अंक</b>			<b>100</b>	

नोट :- यदि दो या दो से अधिक आवेदकों एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो सुपर स्टॉकिस्ट का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

हस्ताक्षर



उज्जैन जिला में साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु  
आवेदन प्रपत्र

पासपोर्ट  
साईज फोटो  
(स्व प्रमाणित)

1. आवेदनकर्ता का नाम — .....
2. पिता/पति का नाम — .....
3. स्थाई पता (प्रमाण सहित)  
दूरभाष नं. /मोबाईल नं. — .....
4. भौक्षणिक योग्यता — .....
5. आवेदक/फर्म का नाम /यदि  
फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप  
फर्म की पूर्ण जानकारी  
(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। — .....
6. वर्तमान व्यवसाय — .....
7. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओव्हर — .....
8. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.)  
(अ) चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा — .....
8. (ब) बैंक व वित्तीय संस्थाओं में  
जमा राशि — .....
8. (ग) गत तीन वर्ष का आयकर विवरण संलग्न करें। — .....
9. सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवेदनकर्ता का नाम — .....

..

- पूँजी की व्यवस्था — .....
10. जी.एस.टी. नम्बर — .....
11. वाहन की व्यवस्था (स्वयं का अथवा  
अनुबंधित वाहन होना आवश्यक)  
वाहन के पंजीयन/अनुबंध की  
छायाप्रति संलग्न करें। — .....
12. भण्डारण हेतु — .....
- वर्तमान क्षमता/व्यवस्था — .....
13. धरोहर/ई.एम.डी. राशि — रू.....
- डी.डी./एम.आर.नं — .....

दिनांक प्रारूप 01 के साथ संलग्न हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता .

.....  
.....  
.....  
.....

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है ) एवं .....  
.....(जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है ) के मध्य निम्नलिखित भातों पर साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट कार्य हेतु निश्पादित किया जाता है :-

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची घी वितरण /विक्रय हेतु सम्पूर्ण..... जिला के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से दो वर्ष की अवधि हेतु सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्त किया जाता है। जिसे लक्ष्य पूर्ति वित्तीय व्यवहार एवं कार्य रिपोर्ट संतोशप्रद होने पर आपसी सहमति से आगामी एक-एक वर्ष के लिए तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।
2. यह कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में कुल प्रतिभूति राशि ₹..... जिसमें नगद रूपये..... एवं रूपये ..... की बैंक ग्यारंटी जमा की गई है, नगद जमा की गई प्रतिभूति राशि ₹ पर संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पचात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य में प्रतिभूति राशि ₹ में वृद्धि हेतु निर्दिष्ट किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि ₹ जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्य समाप्त कर दिया जाएगा।
3. यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट को उनकी जमा प्रतिभूति राशि ₹ का अधिकतम 80% राशि ₹ का घी प्रदाय किया जा सकेगा, जो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट को मान्य होगा।
4. मांग एवं संघ में उपलब्धता अनुसार साँची घी का प्रदाय उनके प्रचलित वजन/पैकिंग अनुसार प्रदाय किया जावेगा, जिसे द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट उसी ईकाई/केस/कर्टन (साँची घी 01 लीटर, 1/2 लीटर, 1/5 लीटर एवं 05 लीटर व 15 कि.ग्रा. जार के पैक में) प्रदाय करेंगे एवं राशि ₹ वसूल करेंगे। किसी भी स्थिति में खुल्ला साँची घी का प्रदाय नहीं कर सकेंगे। साथ ही संयंत्र डाक से प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के मध्य दिन में एक बार घी प्रदाय किया जावेगा।
5. यह कि प्रथम पक्ष यदि यह महसूस करें कि द्वितीय पक्ष साँची की विक्रय का वितरण समान रूप से वितरक/विक्रेताओं की मांग एवं समय पर प्रदायगी नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष तत्काल में अपने साधन से घी की आपूर्ति करेंगे, एवं इस बात की तस्दीक करेंगे कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है, यदि जानबूझकर लापरवाही की जा रही है ता उसी दिन से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को घी के विक्रय वृद्धि हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जावेंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में विक्रय लक्ष्य कार्य आदे 1 में उल्लेखित किये गये है।
7. यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष सुपर स्टॉकिस्ट को जो भी लक्ष्य दिये जाते है, को प्राप्त करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के आभाव में जो भी राशि 1 मार्जिन के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट को दी जावेग, उसकी 50 प्रतिशत राशि 1 संघ सुपर स्टॉकिस्ट की जमा अमानत राशि 1 जप्त कर सुपर स्टॉकिस्ट की एजेन्सी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
8. यह कि प्रथम पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह द्वितीय पक्ष सुपर स्टॉकिस्ट के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा छः माह अथवा एक वर्ष में कभी भी कर सकेगा, तथा उसी अनुसार वितरक एजेन्सी आगे ओर बढ़ायी जाना है, अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी दबाव अथवा अन्य कारण मान्य नहीं रहेगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा सॉची घी की वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घण्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट-छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जावेगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रथम पक्ष/संघ से उठायी गई सॉची घी मात्रा का लेखा-जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे, एवं प्रथम पक्ष/संघ द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एम एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।
11. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट घी प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, सयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी पश्चात किसी भी प्रकार शिकायत को मान्य नहीं किया जावेगा।
12. यह कि यदि स्थानीय क्षेत्रिय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले सॉची घी पर लगाया जाता है, तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर संबंधी किन्हीं भी प्रपत्रों की आवश्यकता हेतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक भास्ती सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि 1 से की जावेगी।

14. यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी भासकीय, अर्द्ध भासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ द्वारा निर्मित घी के सेम्पल की मांग की जाती है तो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट उन्हें सील बंद ईकाई (घी) देवेंगे, किसी भी स्थिति में खुल्ला घी नहीं देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पत्राचार दस्तावेजी प्रतियां भी कार्यालय में 24 घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।
15. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा घी का वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा नहीं दिया जावेगा। द्वितीय पक्ष अन्य दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से साँची घी प्रदाय नहीं कर सकेगा।
16. यह कि द्वितीय पक्ष "साँची घी" के वितरण/विक्रय हेतु अधिकृत सुपर स्टॉकिस्ट वितरक नियुक्त है, अतः छोटे-छोटे व्यापारियों/वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बनाकर रखना होगा, जिससे साँची ब्राण्ड घी के विक्रय में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें एवं प्रथम पक्ष का माल विक्रय में सहायता मिलती रहे।
17. यह कि उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमें दोनों पक्षों में लेखा मिलान संतोशप्रद होना आवश्यक रहेगा। अन्यथा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा-खर्चा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।
18. यह कि उक्त अनुबंध दोनों पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभाव पड़ेगा।
19. यह कि उपरोक्त भातों में व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
20. यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध सहकारी मर्यादित, उज्जैन का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
21. यह कि किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय उज्जैन होगा।
22. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा कार्यक्षेत्र में स्थित वितरकों आदि को प्रदायित घी की राशि स्वयं वसूलना होगी, इसके लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।

23. कार्यक्षेत्र में स्थित डिपार्टमेन्टल स्टोर या माल आदि में घी की प्रदायगी सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा की जाएगी। परन्तु यदि ऐसा पाया जाता है कि इन स्टोर/माल में सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रदायगी नहीं की जा रही या स्टोर सीधे दुग्ध संघ से सीधे क्रय करना चाहते हैं तो दुग्ध संघ किसी भी दर पर सीधे प्रदाय हेतु स्वतंत्र होगा।

उपरोक्त भातों पर दोनों पक्षों की सहमती से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण हों T-हवांस में उज्जैन सहाकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
उज्जैन सहाकारी दुग्ध संघ  
मर्या. मकसी रोड़, उज्जैन –  
456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)  
सुपर स्टॉकिस्ट (घी)  
नाम.....  
पता .....  
.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1  
नाम : .....  
पता:.....


हस्ताक्षर साक्ष्य –2  
नाम : .....  
पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1  
नाम :.....  
पता: .....

हस्ताक्षर साक्ष्य –2  
नाम :.....  
पता: .....

सुपरस्टाकिस्ट दर					
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन					
दर संरचना साँची घी					
साँची घी –					
विवरण	पैकिंग	सुपरस्टाकिस्ट दर	वितरक दर	रिटेलर दर	उपभोक्ता दर
साँची घी	100 एमएल	38.01	38.58	39.72	42.00
	200 एमएल	74.21	75.32	77.55	82.00
	500 एमएल	183.71	186.47	191.98	203.00
	1 लीटर	362.00	367.43	378.28	400.00
	5 लीटर जार	1810.00	1832.40	1866.00	1950.00
	15 कि.ग्रा. जार	5739.80	5790.20	5863.00	5975.00

समय-समय पर उक्त दरें परिवर्तन िल रहेगी।



सॉची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु भाव पत्र प्रपत्र क्रमांक -05



(उज्जैन जिला हेतु)

पासपोर्ट  
साईज  
फोटो चस्पा

1. आवेदन का नाम —.....
2. पिता का नाम —.....
3. स्थाई पता —.....  
(प्रमाण सहित) —.....  
दूरभाष नं./मोबाईल नं. —.....
4. आवेदित मार्ग क्रमांक —.....
5. उज्जैन जिले के लिए साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट बनने के लिए निम्नानुसार प्रतिभूति राशि जमा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

क्र.	विवरण	दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिभूति राशि रूपये लाख	आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति राशि
1	बैंक ग्यारंटी (40%)	40	
2	नगद (60%)	60	
	<b>कुल प्रतिभूति (1 + 2)</b>	<b>1 करोड</b>	

नोट :- यदि दो या दो से अधिक आवेदकों द्वारा एक समान प्रतिभूति राशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो सुपर स्टॉकिस्ट का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम  
एवं पूर्ण पता

पता \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_